

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-02/एम0एम0(बा0)-10/24-3766/एम०, पटना, दिनांक-11/06/26

प्रेषक,

मनेश कुमार मीणा, भा0प्र0से0
निदेशक, खान।

सेवा में,

सभी समाहर्ता।

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषय:- मानसून अवधि में बालूघाटों से बालू खनन बंद रहने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि SEIAA, बिहार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त के अनुसार मानसून अवधि (मध्य जून से मध्य अक्टूबर) में नदी से बालू खनन प्रतिबंधित रहता है।

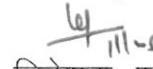
अतः अनुरोध है कि दिनांक-15.06.2026 के मध्य रात्रि से 15.10.2026 तक बंदोबस्त बालूघाटों में बंदोबस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का खनन न हो, यह सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए। साथ ही संबंधित थाना को भी इसकी नियमित निगरानी हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन


निदेशक, खान

ज्ञापांक-3766/एम0, पटना, दिनांक-11/06/26

प्रतिलिपि:- सभी सहायक निदेशक/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, खान

ज्ञापांक-3766/एम0, पटना, दिनांक-11/06/26

प्रतिलिपि:- प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, NIC/ आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, खान